न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 50/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री गजानन्द गुप्ता उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता विक्रेता, निवासीः– सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा एफबीओ मैसर्सः– गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, मानगंज, दौसा।
2. श्री सुरेश चन्द डंगायच निदेशक निर्माता फर्म, निवासी 57 ए–21, जनता कॉलोनी, जयपुर राजस्थान एफबीओ मैसर्सः– एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा0 लिमि0, एफ–134–135, रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया, बस्सी, जयपुर।
3. श्री श्याम डंगायच निदेशक निर्माता फर्म, निवासीः– ए–21, जनता कॉलोनी जयपुर राजस्थान एफबीओ मैसर्सः– एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा0 लिमि0, एफ–134–135, रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया, बस्सी, जयपुर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 22.11.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 3.2.2017 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्स– गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, मानगंज, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गजानन्द गुप्ता उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता विक्रेता, निवासीः– सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नही होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में तीन प्लास्टिक के कट्टों में प्रति कट्टे में 25 पैकिट एक किलो वजनी मैदा (अमृत) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर एक कट्टे में से एक किलोग्राम वजनी के चार पॉली पैक मैदा (अमृत) नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 118 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि खरीदशुदा मैदा (अमृत) के चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मैदा (अमृत) पॉली पैक पर चिपकाकर मैदा (अमृत) को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर मैदा (अमृत) के पॉली पैक पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1576 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एफएसओ, मुख्यालय द्वारा दिनांक 6.2.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 6.2.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 7.2.2017 को डी.ओ व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ मैदा (अमृत) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./190/एक्ट/2017/256 दिनांक 20.2.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा (अमृत) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा स्वयं बहस की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ मैदा (अमृत) के पैक पर **BEST BEFORE 90 DAYS FROM THE DATE OF PACKAGING** केपिटल लेटर्स की बजाय स्माल लेटर्स में लिखा होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जानकारी के अभाव में ऐसी गलती हुई है। जिसमें हमने सुधार कर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

लिया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी। कृपया प्रकरण को निरस्त फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या रिपोर्ट सं0 एल.एस./190/एक्ट/2017/256 दिनांक 20.2.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा (अमृत) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मैदा (अमृत) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री गजानन्द गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता विक्रेता, निवासीः– सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा एफबीओ मैसर्सः– गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, मानगंज, दौसा पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं0 2 श्री सुरेश चन्द डंगायच निदेशक निर्माता फर्म, निवासी 57 ए–21, जनता कॉलोनी, जयपुर राजस्थान एफबीओ मैसर्सः– एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा0 लिमि0, एफ–134–135, रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया, बस्सी, जयपुर पर 11000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं0 3 श्री श्याम डंगायच निदेशक निर्माता फर्म, निवासीः– ए–21, जनता कॉलोनी जयपुर राजस्थान एफबीओ मैसर्सः– एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा0 लिमि0, एफ–134–135, रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया, बस्सी, जयपुर पर 11000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 22.11.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/7385-89
दिनांकः–01.12.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गजानन्द गुप्ता उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता विक्रेता, निवासीः– सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा एफबीओ मैसर्सः– गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, मानगंज, दौसा।
4. श्री सुरेश चन्द डंगायच निदेशक निर्माता फर्म, निवासी 57 ए–21, जनता कॉलोनी, जयपुर राजस्थान एफबीओ मैसर्सः– एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा0 लिमि0, एफ–134–135, रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया, बस्सी, जयपुर।
5. श्री श्याम डंगायच निदेशक निर्माता फर्म, निवासीः– ए–21, जनता कॉलोनी जयपुर राजस्थान एफबीओ मैसर्सः– एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा0 लिमि0, एफ–134–135, रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया, बस्सी, जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा